

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: 1346/VII-1/2018/20-स्टोन क्रेशर/17  
देहरादून: दिनांक: 06 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

अधिसूचना संख्या-1771/VII-1/16/68-ख/15, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित), 2016 के प्रावधानानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-241/स्क्रीनिंग-भण्डारण/भूखनिई/दे०दू०/2017-18, दिनांक 30 मई, 2018 के अनुक्रम में एवं आवेदक द्वारा भण्डारण अनुज्ञप्ति चाहने हेतु स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में मै० सूर्या स्क्रीनिंग प्लान्ट, बक्सरवाला, भानियावाला, जनपद देहरादून को जनपद देहरादून, भानियावाला, ग्राम बक्सरवाला के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 24 व खसरा सं० 25 कुल रकवा 1.3910 है० नाप भूमि में स्वीकृत स्क्रीनिंग प्लान्ट के क्षेत्रान्तर्गत वन सीमा से 100 मी० की दूरी छोड़ते हुए अवशेष 45 मी० चौड़ाई व 132 मी० लम्बाई के भाग तक ही समिति करते हुए  $132 \times 45 = 5940$  वर्ग मीटर अर्थात् 0.594 है० में से 10 प्रतिशत छोड़ते हुए अवशेष क्षेत्रफल 5346 वर्ग मीटर में एक समय में 16038 घनमीटर तथा रोलिंग स्टाक 48114 घनमीटर उपखनिज के भण्डारण हेतु स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञाधारक मै० सूर्या स्क्रीनिंग प्लान्ट के पक्ष में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1782/VII-1/2018/20 स्टोन क्रेशर/17, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा स्वीकृत स्क्रीनिंग प्लान्ट में स्वीकृत अवधि अर्थात् 15.3.2023 तक निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति पत्र स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. अनुज्ञप्तिधारक भण्डारित किये गये एवं निर्गमित किये गये खनिजों का बोधगम्य लेखा-जोखा प्रपत्र "के" पंजिका भण्डार में पृथक-पृथक रखना होगा, ताकि निरीक्षण के समय सही स्थिति की जानकारी हो सके। यदि उपरोक्त के अनुसार अभिलेख नहीं रखे जाते हैं, तो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. अनुज्ञप्तिधारक भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के सही लेखा-जोखा की एक प्रति प्रत्येक माह जिला कार्यालय एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं वाणिज्य कर विभाग को प्रपत्र "एल" में प्रस्तुत करेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारक प्रश्नगत स्थल पर उपखनिजों का भण्डार इस प्रकार से करेगा, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।
4. अनुज्ञप्तिधारक प्रत्येक माह के क्रय उपखनिज के खरीद के साक्ष्य (एम०एम०-11/प्रपत्र जे० की प्रति) प्रपत्र एल० के साथ जिला कार्यालय, ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को जांच हेतु प्रस्तुत करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारक भण्डारण स्थल पर धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए छिड़काव हेतु पानी की व्यवस्था करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारक को समय-समय पर राज्य सरकार, जिलाधिकारी तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
7. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के प्रावधानानुसार छाने गये उपखनिज की मात्रा पर 25 पैसा प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा कराया जाना होगा तथा भविष्य में उक्त के संबंध में शासन द्वारा जो भी आदेश किये जायेंगे, अनुज्ञप्तिधारक को मान्य होगा।

8. अनुज्ञप्तिधारक भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रॉनिक तौल मशीन स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से स्थापित करेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारक खनिज का परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2016 के अनुसार निर्धारित ई-रवन्ना प्रपत्र-"जे" पर करेगा।

आनन्द बर्द्धन  
प्रमुख सचिव

संख्या: 1216 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मै० सूर्या स्क्रीनिंग प्लान्ट, बक्सरवाला, भानियावाला, जनपद देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(गरिमा रौंकली)  
संयुक्त सचिव